न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्याः—134/2022 (GCMS No. 2022/139) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. भूरमल पुत्र स्व. बद्री आयु 53 साल
2. भरतलाल पुत्र स्व. बद्री आयु 51 साल
   जाति जोगी निवासी सूरोठ हाल निवासी गांव धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली।

.....अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरौठ जिला करौली।
2. उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली।
3. अधीक्षण अभियन्ता, पी.एच.ई.डी करौली।
4. अधिशाषी अभियन्ता पी.एच.ई.डी करौली जिला करौली।
5. सहायक अभियन्ता पी.एच.ई.डी हिण्डौन जिला करौली।

.....रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 01.09.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन आदेश क्रमांक राजस्व / आवंटन /2021/1757 दिनांक 01.09.2022

उपस्थितिः—

1. अपीलाट्स की ओर से श्री नवलकिशोर शर्मा, वकील
2. रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 15.02.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के आदेश दिनांक 01.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1119 रकवा 0.37 हैक्टे. किस्म नहरी ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ पूर्व में हरिसिंह पुत्र घीसोली जाट के कब्जे की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

थी जिसने उक्त आराजी को अपनी खातेदारी की बताकर अपीलांट के पिता बद्री को दिनांक 31.06.1989 को विक्रय कर कब्जा संभलवा दिया और एक तहरीर 5 रूपया के स्टाम्प पर अपीलांट के पिता बद्री के हक में निष्पादित कर दिया। अपीलांटस अपने पिता के साथ काबिज काश्त हो गये और लगातार काविज चले आ रहे है। उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 1119 रकवा 0.37 हैक्टे. में से रकवा 0.5 हैक्टे. भूमि तहसीलदार सूरौठ के प्रस्ताव पर रेस्पो. संख्या 2 उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.09.2022 से विधि विरूद्व तरीके से रेस्पो. संख्या 3 लगा. 5 के नाम आवंटित कर दिया। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 3, 4 व 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये।
3. विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यो को मौखिक रूप से दोहराते हुये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की ओर ध्यान दिलाते हुये दलील दी कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1119 रकवा 0.37 हैक्टे. किस्म नहरी ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ पूर्व में हरिसिंह पुत्र घीसोली जाट के कब्जे की थी जिसने उक्त आराजी को अपनी खातेदारी की बताकर अपीलांट के पिता बद्री को दिनांक 31.06.1989 को विक्रय कर कब्जा संभलवा दिया और एक तहरीर 5 रूपया के स्टाम्प पर अपीलांट के पिता बद्री के हक में निष्पादित कर दिया। अपीलांटस अपने पिता के साथ काबिज काश्त हो गये और लगातार काबिज चले आ रहे है। संवत् 2049 से 2078 के राजस्व रिकार्ड खसरा परिवर्तनशील में अपीलांटस के पिता बद्री एवं अपीलांटस के नाम दर्ज चली आ रही है। विधि के अनुसार हमको बेदखल नहीं किया गया और न ही धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही हुई। विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट मंगाये बिना एवं कब्जे का भौतिक सत्यापन कराये बिना आवंटन आदेश पारित किया है। अपीलांटस ने उक्त आराजी को काफी लागत लगाकर मेहनत से काबिल काश्त बनाया है और यही आराजी अपीलांटस के परिवार के भरण पोषण का जरिया है। तहसीलदार सूरौठ के प्रस्ताव पर रेस्पो.संख्या 2 ने विधि विरूद्व तरीके सेस्पो. संख्या 3 जा. 5 के नाम आवंटित कर दिया जबकि उक्त आराजी अपीलांटस के कब्जे काश्त की है और आवंटन हेतु खाली नहीं है। अपीलांटस को उक्त आराजी से आज तक बेदखल नहीं किया है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.09.2022 खारिज फरमाया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार सूरौठ की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि भूमि सिवायचक है और भूमि विवाद रहित है। इसके साथ ही राजकीय भूमि पर किसी भी अतिक्रमी को कोई अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं होते है और फिर ऐसा अतिचारी किसी भी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हुए आवंटन को खारिज करवाने का कोई अधिकार नहीं रखता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है। अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बहाल रखा जावे। अतः अपील अपीलान्टस खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि विवादित भूमि आराजी ख.नं. 1119 रकवा 0.37 हैक्टे. में से 0.5 हैक्टे. वांके ग्राम धंधावली तहसील सूरोठ रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगा. 5 को दिनांक 01.09.2022 को जनता जल जीवन मिशन योजना के तहत उच्च जलाशय, नलकूपों, पम्प हाउस एवं स्वच्छ जलाशय के निर्माण हेतु आवंटित हुई थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी, तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायत की साधारण सभा की बैठक दिनांक 20.06.2022 के कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव संख्या 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है। जिसका आवंटन राजकीय प्रयोजनार्थ किया गया है। खसरा गिरदावरी संवत् 2071 से 2074 के अनुसार भूमि सिवायचक दर्ज पायी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशीलों में भी भूमि की किस्म सिवायचक दर्ज है। राजकीय भूमि पर काश्त किया जाना अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अपीलांट ने राजकीय भूमि को एक अतिक्रमी से उसकी बिना अधिकारिता के क्रय की है जिस गैर कानूनी कृत्य के लिये न केवल ऐसा विक्रेता दोषी है बल्कि क्रेता अपीलांट भी दोषी है। ऐसी राजकीय भूमि पर अतिक्रमी अपीलांट को कानूनन कोई अधिकार एवं हक प्राप्त नहीं होते है और ऐसी भूमि के संबंध में हुए आवंटन को निरस्त कराने का ऐसे अपीलांट/अतिक्रमी को कोई विधिक रूप से अधिकार नहीं है। इस प्रकार हम विद्वान अभिभाषक अपीलांटस द्वारा दी गई दलीलों के सारहीन, तथ्यहीन एवं विधिसम्मत नहीं होने से कतई भी सहमत नहीं हैं। विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा दी गई दलीलों से हम पूर्णतया सहमत है। इस प्रकार हम उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

उचित नहीं समझते हैं। उक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलांटस की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

7. फलस्वरूप उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति के मध्येनजर अपीलांटस की अपील खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) हिण्डौन का आदेश दिनांक 01.09.2022 बहाल रखा जाता है। अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 15.02.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर